

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

प. (50)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 20.3.2018

स्वीकृति संख्या:- 978/2017-18

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 120.21लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ6/सीटीएडी/लेखा/पुनर्विनि/माडा/ 2017-18 स्वीकृति सं. 87/2017-18 दिनांक 27.03.2018 में अंकित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रु. 120.21 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ बीस लाख इक्कीस हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30


- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(16) - बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)

[01] - आश्रम छात्रावासों का संचालन (श.नि.) (राशि रु लाखों में)

क्र.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राविप्र)	92-सहयतार्थ अनुदान (संवेंतन) (राज्य निधि)
1.	अलवर	23.78
2.	बारां	5.00
3.	बूंदी	13.50
4.	चित्तौड़गढ़	18.66
5.	दौसा	22.00
6.	धौलपुर	4.00
7.	जोधपुर	7.00
8.	जयपुर	6.27
9.	करौली	2.00
10.	राजसमंद	15.00
11.	उदयपुर	3.00
	योग	120.21

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,


(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्(ग्राविप्र), संबंधित।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



निदेशक, वित्त (बजट)